झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
तृतीय–सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक 03 भाद्रपद 1937 (श0) / 25 अगस्त 2015 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सं0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
31	वन– 02	श्री नागेन्द्र महतो	पशु रक्षकों की सेवा नियमित	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	18.08.2015
32	टन– 02	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	पर्यटन स्थल विकसित करना	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	18.08.2015
33	शि– 08	श्री नागेन्द्र महतो	खेल शिक्षकों की नियुक्ति	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
34	उत– 01	श्री जगरनाथ महतो	डिग्री कॉलेज खोलना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	13.08.2015
35	शि– 06	श्री शशि भूषण सामाड़	शारीरिकशिक्षा शिक्षक नियुक्त	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
36	उत– 03	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	पॉलिटेकनिक कॉलेज का निर्माण	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	18.08.2015
37	शि– 01-	श्रीमती जोबा मांझी	शिक्षण कार्य को चालू करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
38	ख– 01	श्रीमती मेनका सरदार	खनन कार्य का हिसाब रखना	खान एवं भूतत्व	18.08.2015
39	उ– 02	श्री योगेश्वर महतो	मिट्टी कला बोर्ड का गठन	उद्योग	18.08.2015
40	शि– 11	श्रीमती विमला प्रधान	पाठ्यक्रम में शामिल कराना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.08.2015
41	वन– 01	श्री साधुचरण महतो	प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत पर विचार	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	18.08.2015

42	शि– 02	श्री आलोक कुमार चौरसिया	चाहरदिवारी तथा शौचालय का निर्माण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.082015
43	टन– 01	श्रीमती विमला प्रधान	भवनों को संचालित कराना	पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य	13.08.2015
44	शि– 12	डा0 अनिल मुर्मू	सहायक शिक्षक नियुक्त करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.08.2015
45	शि– 03	श्रीमती जोबा मांझी	भवन का जीर्णोद्धार	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
46	उ– 01	श्री योगेश्वर महतो	दोगुणा फीस से राहत दिलाना	उद्योग	18.08.2015
47	शि– 09	श्री रामचन्द्र सहिस	भवन निर्माण कराना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
48	उत– 02	श्री जयप्रकाश सिंह भोगता	पॉलिटेकनिक कॉलेज खोलना	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	18.08.2015
49	शि– 05	श्री प्रकाश राम	वेतन का भुगतान	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
50	वन– 03	श्री रामचन्द्र सहिस	कानूनी कार्रवाई करना	वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु	18.08.2015
51	टन– 04	श्री शशिभूषण सामाड़	पर्यटन क्षेत्र का विकास	पर्यटन,कला संस्कृति,खेलकूद एवं युवा कार्य	18.08.2015
52	शि– 13	डॉ0 अनिल मुर्मू	नियुक्ति करने पर विचार	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.08.2015
53	शि– 07	श्री दशरथ गागराई	विद्यालय को पुनः प्रारंभ करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
54	टन– 05	श्री ताला मराण्डी	पैका अखाड़ा को पुनर्जिवित करना	पर्यटन,कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	19.08.2015
55	शि– 04	श्रीमती मेनका सरदार	कर्मियों की सेवा नियमित करने पर विचार	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	18.08.2015
56	शि– 10	श्री बादल	पारा शिक्षकों को नियमित करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	19.08.2015
57	टन– 03	श्री साधु चरण महतो	पर्यटन स्थल में विकसित करना	पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य	18.08.2015

रांची
दिनांक–25 अगस्त, 2015 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या–प्रश्न–04/2015–......2452....../वि०स०,रांची,दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा० मुख्यमंत्री/मा० मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/15
(संजय कुमार)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–04/2015–......2452....../वि०स०,रांची,दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय /अपर सचिव (प्रश्न)/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

24/8/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रांची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–04/2015–......2452....../वि०स०,रांची,दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि :– कार्यवाही शाखा/आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाइट शाखा को सूचनार्थ

24/8/15
अवर सचिव,झारखण्ड विधान सभा,रांची।

21.08.15

बहादुर/

(31)

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–02 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि राज्य में वर्ष 1987–88 से पशुरक्षक सभी जिलों में दैनिक वेतनमान पर कार्यरत हैं;	अस्वीकारात्मक। वास्तविकता यह है कि वन विभाग द्वारा वनरोपण संबंधी कार्य चार वर्षों की परियोजना के रूप में किया जाता है। परियोजना अंतर्गत गढ्ढे खोदना, ट्रेंच घेरान, पौधारोपण एवं रोपित पौधों की सुरक्षा का कार्य मजदूरों के माध्यम से कराया जाता है। पौधों की सुरक्षा हेतु परियोजना अवधि में रखे गये मजदूरों (पशुरक्षकों) को निर्धारित दर पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है । पशुरक्षक का न तो कोई पद सृजित है और न ही किसी को इस कार्य के लिए दैनिक मजदूरी पर नियुक्ति किया गया है ।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कार्यरत पशु रक्षकों की सेवा सरकार ने अब तक नियमित नहीं की है;	अस्वीकारात्मक। पशुरक्षक का न तो कोई पद सृजित है और न ही इस कार्य के लिए किसी की दैनिक मजदूरी पर नियुक्ति की गई है, इसलिए नियमित करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।
3. क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कार्यरत पशु रक्षकों के पद पर सरकार द्वारा नई नियुक्ति करने के कारण इन पशु रक्षकों की सेवा समाप्त हो जायगी एवं इनके परिवार निश्चितरूप से भुखमरी के कगार पर खड़े हो जायेंगे;	अस्वीकारात्मक। पशुरक्षकों का कोई पद सृजित नही है इसलिए नई नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता है।
4. यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कि खण्ड–1 में वर्णित कार्यरत पशु रक्षकों की सेवा नियमित करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	स्थिति कंडिका–2 के उत्तर में स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–53/2015– 4574 व०प०, राँची, दिनांक– 24/8/15

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं०–2203 दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15

(सुनील कुमार)

(32)

श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–02 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिलान्तर्गत प्रखण्ड हण्टरगंज में माँ कौलेश्वरी मन्दिर स्थित है, प्रसिद्ध माँ कौलेश्वरी के दर्शन को काफी दूर से भी लोग आते है;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि मूल–भूत सुविधाओं के अभाव में दर्शनार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	2.	वस्तुस्थिति यह है कि – i. माँ कौलेश्वरी मंदिर के पर्यटकीय विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2003–04 में ₹15,29,200.00 (पन्द्रह लाख उनतीस हजार दो सौ) रूपये मात्र की राशि आवंटित की गई थी, जिससे सीढ़ी निर्माण, यात्री शेड, सिटिंग चेयर एवं पेयजल आपूर्ति का कार्य कराया गया है। ii. सरकारी आश्वासन संख्या–52/2014 के अनुपालन के क्रम में चतरा जिलान्तर्गत हंटरगंज प्रखण्ड में माँ कौलेश्वरी मंदिर, कान्हाचट्टी प्रखण्ड के तमासीन एवं महादेव घोखर तथा कुन्दा प्रखण्ड के महादेव मठ के पर्यटकीय विकास हेतु विभागीय पत्रांक–1383, दिनांक–11.08.2015 के द्वारा उपायुक्त, चतरा को प्राक्कलन एवं प्रतिवेदन हेतु स्मारित किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार माँ कौलेश्वरी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है, (यदि) हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	यथा उपर्युक्त कंडिका 2 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/53/2015 1470 /राँची, दिनांक 24/08/15 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2209/वि०स०, दिनांक–18/08/2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री नागेन्द्र महतो, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि–08

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में खेल शिक्षक कार्यरत थे;	अस्वीकारात्मक। प्रारंभिक विद्यालयों में कुल 88 पद स्वीकृत है, जिन पर नियुक्ति से संबंधित याचिका माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। इस बीच निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 लागू हो जाने के पश्चात् सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 3663 मध्य विद्यालयों में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक का पद स्वीकृत किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में खेल शिक्षकों के सेवानिवृति के पश्चात् खेल शिक्षकों का पद वर्तमान में रिक्त है;	इस खण्ड का उत्तर खण्ड–1 के उत्तर में सन्निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में रिक्त पड़े पद पर, जनहित में खेल शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड–1 के उत्तर में सन्निहित है।

24/08/15
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–13/ब०स०प्र०–11/15– 1982 राँची, दिनांक– 24.08.2015

प्रतिलिपि :– अवर उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2189, दिनांक 18.0815 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08/15
सरकार के उप सचिव।

श्री नागेन्द्र महतो, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -शि०-08

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में खेल शिक्षक कार्यरत थे,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक के पद स्वीकृत थे, उन विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति की गयी थी।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में खेल शिक्षकों के सेवानिवृति के पश्चात् खेल शिक्षकों का पद वर्त्तमान में रिक्त है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। पूर्व से स्वीकृत पदों पर सेवानिवृत्ति होने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत किये गये पद भी रिक्त हैं।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के सरकारी विद्यालयों में खेलकूद को पुर्नजीवित करने हेतु राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में रिक्त पड़े पद पर, जनहित में खेल शिक्षकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में अन्य रिक्तियों के साथ-साथ शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने हेतु सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों हेतु संयुक्त नियमावली के गठन की कार्रवाई अंतिम चरण में है तथा इस नियमावली पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के पश्चात् शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरने की कार्रवाई प्रारम्भ की जायेगी।

[signature] 23/08

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-114/2015........2729......./ दिनांक.....23......अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 23/08

सरकार के उप सचिव।

(34)

श्री जगरनाथ महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक--25.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या उत–01

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिले के नावाडीह प्रखण्ड में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि डिग्री कॉलेज के अभाव में नावाडीह प्रखण्ड के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नावाडीह प्रखण्ड में डिग्री कॉलेज खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	बोकारो जिला में 03 अंगीभूत एवं 09 सम्बद्धता प्राप्त डिग्री महाविद्यालय है। प्रखण्ड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं <u>तकनीकी शिक्षा</u> विभाग।

ज्ञापांक 5/वि2–89/2015 1659 रांची दिनांक– 24.8.2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रॉची को उनके ज्ञापांक–2028 दिनांक–13.08.2015 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08/2015

अवर सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
झारखण्ड, रॉची।

35

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री शशि भूषण सांमाड़, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि–06

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के निदेशानुसार झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली कंडिका–10, पृष्ठ संख्या–09 में राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की नियुक्ति की संकल्पना की गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार ऐसे मध्य विद्यालय जहां कक्षा 6 से 8 में 100 या उससे अधिक बच्चे हैं, में अंशकालिक रूप में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक, ललित कला अनुदेशक तथा कार्य शिक्षा अनुदेशक की व्यवस्था की जानी है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 17028 के विरूद्ध केवल 129 शिक्षक ही नियुक्त है;	राजकीयकृत मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के कुल 88 पद स्वीकृत है, जिन पर नियुक्ति से संबंधित याचिका माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 में 3663 अंशकालिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की स्वीकृति दी गई थी, किन्तु इस वर्ष की योजना में इनकी स्वीकृति नहीं दी गई है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार झारखण्ड प्रदेश में शारीरिक शिक्षा शिक्षक नियुक्ति करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों;	राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के सर्व शिक्षा अभियान की योजना में अंशकालिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक के पदों की स्वीकृति एवं बजटीय प्रावधान हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।

24/08

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–13/म–4–13/15–1983 रॉंची, दिनांक– 24.08.2015

प्रतिलिपि :– अवर उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2192, दिनांक 18.0815 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08

सरकार के उप सचिव।

(36)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का तृतीय (मानसून) सत्र में दिनांक 25.08.2015 को श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0 –उत–03 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रांची जिला अन्तर्गत चान्हो एवं बेड़ो प्रखण्ड में महिला पोलिटेकनिक कॉलेज नहीं होने के कारण छात्राएँ तकनीकी शिक्षा से वंचित हो रही है ;	1. अस्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्ड, राँची जिला के अन्तर्गत आदिवासी बहुल क्षेत्र है ;	2. स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चान्हो एवं बेड़ो प्रखण्ड में पोलिटेकनिक कॉलेज निर्माण करने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	3.1. राँची जिला में दो राजकीय पोलिटेकनिक अवस्थित है जिसमें एक महिला पोलिटेकनिक है तथा दूसरे में भी Co-eduction है। 2. इसके अलावे PPP Mode पर एक तथा Private Sector में कुल 7 पोलिटेकनिक कार्यरत है। अतः वर्तमान में अन्य महिला पोलिटेकनिक खोलने का निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–2 वि0प्रा0/वि0स0–40/15 – 2099 / राँची, दिनांक– 24.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2197 दिनांक 18.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

(37)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती जोबा मांझी, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-01

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत गुदड़ी प्रखण्ड को प्राथमिक विद्यालय विगत दो माह से बन्द पड़ा है,	अस्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के बन्द होने के कारण पठन-पाठन का कार्य पूर्णतः ठप है,	अस्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार गुदड़ी प्रखण्ड के उक्त विद्यालय में पुनः शिक्षण कार्य चालू कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खंड का उत्तर उपर्युक्त खंड 1 एवं 2 में सन्निहित है ।

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-14/वि०स०-12/15 - 1985 राँची, दिनांक- 24.08.2015

प्रतिलिपि :- अवर उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2107, दिनांक 18.0815 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(38)

श्रीमती मेनका सरदार, स0वि0स0 द्वारा दिनांक 25–08–2015 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या ख0–01

क्या मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

		मंत्री
01	क्या यह बात सही है कि जिला पूर्वी सिंहभूम अन्तर्गत प्रखण्ड पोटका के कुँदरूकोचा नामक स्थान पर (सोना का खदान) गोल्ड माईन्स है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
02	क्या यह बात सही है कि कुँदरूकोचा गोल्ड माईन्स से मनमोहन मिनरल्स नामक कम्पनी द्वारा सोना का खनन विगत 15 वर्षों से किया जा रहा है ;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। मेसर्स मनमोहन मिनरल्स को दिनांक 09.02.2002 से 25 वर्षों के लिए गोल्ड माईन्स का खनन पट्टा दिया गया है।
03	क्या यह बात सही है कि मनमोहन मिनरल्स द्वारा कुँदरूकोचा से सोने के खनन का कोई हिसाब नहीं है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
04	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मनमोहन मिनरल्स से खनन किए जा रहे सोने की प्रतिशत मात्रा भाग एवं कितने एकड़ मे खनन कार्य किया जा रहा का हिसाब– किताब रखती है, यदि हाँ तो कितना, नहीं तो क्यों?	मेसर्स मनमोहन मिनरल इंडस्ट्रीज प्रा० लि० को पोटका अँचल के मौजा कुँदरूकोचा के रकवा 19.5 हे० क्षेत्र पर सोना का खनन पट्टा धारित है, जबकि लगभग 4.00 हे० क्षेत्र पर खनन कार्य किया जा रहा है । सोने के अयस्क को प्रोसेसिंग करने पर एक टन अयस्क से औसतन 2.108 ग्राम सोना निकलता है जिसका मासिक विवरणी एवं रॉयल्टी पट्टेधारी द्वारा नियमित रूप से दिया जा रहा है।तद्नुसार अब तक कुल रू० 51,25,993/– (इक्यावन लाख पच्चीस हजार नौ सौ तिरानवे रूपए) Royalty का भुगतान कम्पनी द्वारा किया गया है।

A 24.8.15

(आनन्द मोहन ठाकुर)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक वि0स0(ता0)– 39/15.1255 एम0 दिनांक 24.8.15

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को 200 प्रतियों के साथ उनके ज्ञाप सं0 प्र० 2210 दिनांक 18–8–15 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

A 24.8.15

सरकार के संयुक्त सचिव

(39)

श्री योगेश्वर महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–02 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कुम्हार जाति के लोग काफी संख्या में निवास करते हैं, जिनका जातिगत व्यवसाय मिट्टी से वस्तुओं का निर्माण करना है, जो आज के आधुनिकीकरण के युग में विलुप्त होते जा रहा है;	राज्य में कुम्हार जाति की संख्या का आंकड़ा उद्योग विभाग में उपलब्ध नहीं है। यह बात सही है कि आज के आधुनिकीकरण के युग में मिट्टी से बनी सामग्रियों के स्थान पर प्लास्टिक एवं अन्य सस्ते पदार्थों से बनी सामग्रियों का उपयोग प्रायः किये जाने के फलस्वरूप इस कार्य से जुड़े लोगों को विपणन के लिए कठिनाई है।
2	क्या यह बात सही है कि छत्तीसगढ़ एवं अन्य कई राज्यों में, राज्य सरकार मिट्टी कला बोर्ड का गठन कर उक्त विलुप्त हो रहे कला को संरक्षण एवं संवर्द्धन दे रही है;	प्राप्त सूचनानुसार छत्तीसगढ़ में मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया गया है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त राज्यों की भांती मिट्टी से बनी सामग्रियों का निर्माण आधुनिक तरीके से करने के लिए उक्त कला को उद्योग का दर्जा देते हुए मिट्टी कला बोर्ड के गठन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	झारक्राफ्ट द्वारा टेराकोटा के कार्य को प्रोत्साहित करने हेतु प्रशिक्षण एवं विपणन में सहायता प्रदान की जा रही है। अतः मिट्टी कला बोर्ड के गठन से संबंधित उद्योग विभाग में कोई प्रस्ताव नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1449 / राँची, दिनांक 24-08-2015 /
01/विधानसभा (तारांकित प्रश्न)-04–46/2015 उ०वि०

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का उनके ज्ञाप संख्या–2206 वि०स० दिनांक–18.08.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के उप सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती विमला प्रधान, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-11

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में झारखण्ड के इतिहास-भूगोल को शामिल करने की मंशा रही है, राज्य सरकार द्वारा कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यक्रम की पुस्तक उपलब्ध करायी जाती है, पुस्तक के एक पाठ में बहुत ही संक्षिप्त रूप में झारखण्ड के आदिवासी समाज के विषय में बताया गया है यहाँ तक कि भगवान बिरसा मुण्डा के जन्म के विषय तक की भी पूरी जानकारी नहीं दी गयी है;	स्वीकारात्मक ।
2.	क्या यह बात सही है कि कई राज्यों में अपने इतिहास व भूगोल के पाठ्यक्रम में बदलाव किया है;	स्वीकारात्मक ।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपने प्रदेश के महापुरूषों यथा	राज्य द्वारा अबतक कक्षा 1 से 8 तक एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों का ही मुद्रण कराया जाता

	भगवान बिरसा मुण्डा, सिद्धो–कान्हू, नीलाम्बर–पीताम्बर, अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पाण्डेय गणपत राय, वीर बुद्धु भगत, शेख भिखारी, टिकैट उमराँव सिंह आदि के विषय में जानकारी पाठ्यक्रम की किताब में शामिल करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	रहा है । झारखण्ड राज्य द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 के पुस्तक निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इस क्रम में कक्षा 1 की पाठ्य-पुस्तक तैयार की गई है। अन्य कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तक का निर्माण प्रक्रियाधीन है। इन पाठ्य-पुस्तकों में झारखण्ड राज्य के महापुरुषों की जीवनी शामिल की जायेगी।

24/08

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

<u>मानव संसाधन विकास विभाग</u>

ज्ञापांक–15/स०प्र०-5- 14./15- 1986 राँची, दिनांक– 24.08.2015

प्रतिलिपि :– अवर उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2250, दिनांक 19.0815 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08

सरकार के उप सचिव।

(41)

श्री साधु चरण महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–01 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि सरायकेला खरसावाँ जिले के अधिकतर खनन पट्टा एवं क्रशर इकाई चांडिल अनुमण्डल क्षेत्र में अवस्थित है एवं इस क्षेत्र का रोजगार का एक मात्र साधन क्रशर व्यवसाय ही है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने के जटिल प्रक्रिया के कारण प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करने के अभाव में, अधिकतर क्रशर इकाई को D/L लाईसेंस नहीं मिलने के कारण बंद पड़े हैं, जिससे क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है;	अस्वीकारात्मक। चाण्डिल अनुमण्डल के अन्तर्गत 17 पत्थर खनन पट्टा तथा 172 स्टोन क्रशर के लिए NOC निर्गत कर दिया गया है। 68 आवेदन अनापति प्रमाण पत्र हेतु लंबित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल व सुगम बनाकर जोनल/जिला स्तर पर प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	जोनल/जिला स्तर पर प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने की शक्ति प्रत्यायोजित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नही है।

झारखण्ड सरकार
<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–52/2015–4588 व0प0, राँची, दिनांक–24.08.2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2202 दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(42)

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री आलोक कुमार चौरसिया, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि–02

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला में सतबरवा, चैनपुर तथा भण्डरिया प्रखण्डों में प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय है तथा कई नवनिर्मित है परन्तु उसके चाहरदीवारी तथा शौचालय का निर्माण अधूरा पड़ा है;	वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिला अन्तर्गत भण्डरिया प्रखण्ड अवस्थित नहीं है। पलामू जिले के सतबरवा एवं चैनपुर प्रखण्ड के मात्र 5 विद्यालयों में चाहरदीवारी है। सतबरवा प्रखण्ड के 9 विद्यालय एवं चैनपुर प्रखण्ड के 51 विद्यालय में शौचालय का एक अतिरिक्त ईकाई निर्माणाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि चाहरदीवारी तथा शौचालय के अभाव में छात्र एवं छात्राओं को काफी कठिनाईयाँ झेलनी पड़ती है तथा चाहरदीवारी के अभाव में असमाजिक तत्व भी विद्यालय में छुट्टी के बाद अपना जमावड़ा लगाये रहते है;	वस्तुस्थिति यह है कि पलामू जिले के प्रश्नाधीन प्रखण्ड के विद्यालयों में शौचालय की एक ईकाई उपलब्ध है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा राशि उपलब्ध होने की स्थिति में इनका निर्माण कराना संभव हो सकेगा।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार ऐसे अधूरे पड़े विद्यालय में चाहरदीवारी तथा शौचालय निर्माण करने हेतु विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों;	निर्माणाधीन शौचालयों का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जायेगा।

24/08

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–13/वि.स.-4–9/15 – 1984 राँची, दिनांक– 24.08.2015

प्रतिलिपि :– अवर उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2188, दिनांक 18.0815 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08

सरकार के उप सचिव।

(43)

श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–01 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना के अन्तर्गत टूरिस्ट काम्पलेक्स, पर्यटक सूचना केन्द्र, मार्गीय सुविधा आदि का निर्माण करवाया जाता है;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा उक्त सभी निर्मित सुविधा स्थलों को संचालन हेतु JTDC को ट्रांसफर कर उसे आउटसोर्सिंग पी०पी०पी० मॉडल के तहत दे दिया गया है। परन्तु व्यवाहारिक नीति नहीं होने के कारण कई बार टेन्डर रद्द कर दिये जाने के कारण बड़ी राशि व्यय होने के बाद भी आम लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है ;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि – i- झारखण्ड राज्य में पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएँ, आवासन, सुरक्षा आदि प्रदान करने के निमित्त व्यवसायिक रूप से संचालन एवं प्रबंधन हेतु अधिकांश निर्मित सुविधा स्थलों को बाह्य स्रोत अथवा पी०पी०पी० मोड के माध्यम से कराये जाने हेतु झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची (JTDC) को हस्तांतरित की जाती है। ii- कुछ निर्मित संरचनाओं को जिला प्रशासन को भी संचालन एवं प्रबंधन हेतु सौंपी जाती है। iii- उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र होने एवं अन्य कारणों से निविदा के माध्यम से पी०पी०पी० मोड पर संचालन हेतु उपयुक्त संवेदक प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, पर्यटकों की सुविधा हेतु झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची (JTDC) स्तर से भी संचालन प्रारंभ की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्यटकों के लिए तैयार सभी भवनों को यथाशीघ्र संचालन करवाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएँ, आवासन, सुरक्षा आदि प्रदान करने के निमित्त पर्यटक के निमित्त तैयार पर्यटकीय संरचनाओं के सफल संचालन एवं उत्तम प्रबंधन हेतु विभागीय संकल्प संख्या–494, दिनांक–25.03.2015 निर्गत है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/51/2015 1466 /राँची, दिनांक 24/08/15 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2029/वि०स०, दिनांक–13/08/2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

44

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

डॉ० अनिल मुर्मू, स.वि.स. द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–शि०–12

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड
1.	क्या यह बात सही है कि श्री वसंत कुमार भगत, पिता–श्री लक्ष्मण प्रसाद भगत, ग्राम+पत्रालय–पाकुड़िया, जिला–पाकुड़ वर्ष 2007 से ही प्रखण्ड मुख्यालय प्राथमिक विद्यालय, पाकुड़िया में एक पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत है, जो 40% विकलांग है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि श्री वसंत कुमार भगत जिनका प्रकाशित सूची का क्रमांक 2601 एवं आवेदन का क्रमांक–2660 एवं अंतिम मेधा अंक–56.21 प्रतिशत है, को सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है;	प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता है कि श्री भगत का मेधा क्रमांक किस जिले के शिक्षक नियुक्ति से संबंधित है, तथापि जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ ने प्रतिवेदित किया है कि उनके जिले में विकलांग पारा शिक्षक के चयन हेतु न्यूनतम मेधा अंक 60.95 प्रतिशत है।
3.	क्या यह बात सही है कि श्री अरविन्द कुमार मिश्र, जिला–चतरा जो विकलांग पारा शिक्षक है और जिनका मेधा क्रमांक–4P-Pvi + -120 आवेदन क्रमांक–6706 और मेधा अंक–55.5 प्रतिशत है, की नियुक्ति सहायक शिक्षक के पद पर की गई है जबकि श्री मिश्र का मेधा अंक श्री भगत के मेधा अंक से कम है;	प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों का संवर्ग जिला स्तरीय है। शिक्षक नियुक्ति नियमावली के अनुसार जिला स्तर पर ही आवेदन आमंत्रित कर नियमानुसार नियुक्ति की जाती है। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के चयन का मेधांक जिलावार अलग–अलग हो सकता है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर सही है तो क्या सरकार श्री वसंत कुमार भगत एक विकलांग पारा शिक्षक की नियुक्ति एक सहायक शिक्षक के रूप में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति इसके लिए सरकार से गठित नियमावली के अनुसार जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा की जाती है। इसके प्रावधान से अलग हटकर किसी की नियुक्ति नहीं हो सकती है।

24/08

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–19/स०प्र०–16/15 – 1987 रॉची, दिनांक–24.08.2015

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2249, दिनांक 19.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/08

सरकार के उप सचिव।

(45)

श्रीमती जोबा मांझी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -शि०-03

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, सोनुवा का निर्माण वर्ष 1984-85 ई० में हुई थी।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान समय में उक्त विद्यालय भवन रख-रखाव के अभाव में टूटने के कगार पर है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि लगभग 300 विद्यार्थियों की पढ़ाई (क्लास) कमरे के नहीं होने से छात्रावास में चल रही है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय में लगभग 250 छात्राएँ अध्ययनरत् हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् विद्यालय के परिसर में ही कल्याण विभाग द्वारा निर्मित छात्रावास भवन में, जिसमें वर्त्तमान में छात्राओं का आवासन नहीं है तथा खाली है, विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों को उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय भवन का जीर्णोद्धार एवं क्लास रूम बनाने का विचार रखती है। हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् चरणबद्ध तरीके से माध्यमिक विद्यालयों में ही ए.सी.आर. (अतिरिक्त वर्ग कक्ष) के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है। प्रश्नाधीन विद्यालय की भी सूची भारत सरकार को भेजने की कार्रवाई इसी वित्तीय वर्ष में की जायेगी।

23/08/15

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-116/2015 2730 / दिनांक 23 अगस्त, 2015

प्रतिलिपि:- . अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/08/15

सरकार के उप सचिव।

(46)

श्री योगेश्वर महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–उ0–01 की उत्तर सामग्री :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	2	3
1	क्या यह बात सही है कि 9 अगस्त एवं 10 अगस्त, 1956 को हिन्दुस्तान इस्पात लोहा कारखाना के लिए अधिसूचना जारी की गयी थी, जिसकी चौहदी–उत्तर में दामोदर नदी, दक्षिण में गरगा नदी एवं आसपास के कुछ गाँव, पूरब में गरगा नदी एवं पश्चिम में पेटरवार थाना की चहारदिवारी क्षेत्र तक घोषित है;	स्वीकारात्मक है (अधिसूचना संलग्न)।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिसूचना के कारण जरीडीह, कसमार एवं पेटरवार प्रखण्ड के लोगों को दुगुना कोर्ट फीस की राशि देनी पड़ती है;	अस्वीकारात्मक है। संपूर्ण राज्य में निबंधन शुल्क एक समान है। स्टाम्प शुल्क के लिए इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 एवं रजिस्ट्रेशन फीस के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 78 में राज्य सरकार को शक्ति प्राप्त है। पूर्व में एकीकृत बिहार में Notified Area and Municipal Area के लिए अतिरिक्त सेस लिया जाता था। झारखण्ड में यह वर्त्तमान में लागू नहीं है। वर्त्तमान में दस्तावेज के मूल्य के आधार पर जो शुल्क लिया जाता है, वह पूरे प्रदेश में एक समान है। जरीडीह, कसमार एवं पेटरवार के लिए दुगुनी फीस नहीं लिया जाता है। (उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, बोकारो के पत्रांक–1525/रा0, दिनांक–23.08.2015 संलग्न)।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड के लोगों के लिए अनुपयोगी हो चुकी अधिसूचना को रद्द करते हुए ली जानेवाली दुगुना फीस से राहत दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपायुक्त, कार्यालय बोकारो के पत्रांक–1525/रा0, दिनांक–23.08.2015 द्वारा उक्त अधिसूचना के कारण जरीडीह, कसमार एवं पेटरवार प्रखण्ड के लोगों को दुगुना कोर्ट फीस की राशि देने के संबंध में अस्वीकार किया गया है, उक्त परिपेक्ष्य में प्रश्न प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 1441 /राँची, दिनांक 24-08-2015
01/विधानसभा (तारांकित प्रश्न)–04–49/2015 उ0वि0

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय का उनके ज्ञाप संख्या–2205 वि0स0 दिनांक–18.08.2015 के आलोक में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के उप सचिव

Government of Bihar
Revenue Department.

NOTIFICATION 9059 R dated 9.8.56

(5)

Whereas it appears to the Government of Bihar that land is acq red to be taken by Government at the public expense for a publ purpose viz; for errection of Iron and Steel Plant in the villages PANCHARA NO.1 BAIDMARA NO.2 KANPHATA NO.3 MAHESHPUR N KAIRAKUNDI NO.5 MAHUAR NO.6 NOHARA No.7 ASANSOL NO. 8 TILABANI No.11, HARILA (P) No.12 JOLABANDH NO.13, PATHARKATA No.14, CHAKPANDEDIH No.16, SANGJURI NO.17 PINARGORIA No.18, BHARRA NO HANIPUKHOR NO.20, BHATUA No.21, DHANDEBRA NO.22, THANA CHAS ZIL Manbhum it is hereby notified that for the above purpose a pi of land measuring more or less 14520.32 acres bounded on the

NORTH;- By the DAMODAR RIVER

East :- BY THE GARGANALA.

SOUTH: BY THE MARAPHARI TO CHAS ROAD.

WEST : BY THE THANA BOUNDARY OF THANA PETERBAR DISTRICT HAZA is required within the aforesaid villages of PANCHRA NO.1, BAIDMARA NO.2, KANPHATA NO.3, MAHESPUR NO.4, KAYARAKUNDI NO.5 MAHUAR NO.6 NOHARA NO.7, ASANSOL NO.8, TILABANI (P) No.11, HARILA NO.12, JOLABANDH NO.13, PATHARKATTA NO.14 CHACKPANDEDIH NO.16 SANGJURI No.17, PINARGORIA NO.18, BHARRA No.19 RANIPOKHAR No. bhatua No.21 DHANDEBRA No.22.

This notification is made, under the provisions of ~~ion 8xxxbyxanyxpersonsxinterestedxwithinxthexmeaningxofxthat sectionxonxorxbeforexthexxxxxxxxxxxxxxxxbeforexthexlandxacq isxofficerxxRanchixwillxbexconsidered~~ XXXVIII 4 of Act I of 1894 as amended by act of 1923 to all whom it concern.

Objections to the acquisition, if any, filed unde section 5-A by any persons interested within the meaning of section on or before the   beefore the land Acquis officer, Ranchi will be considered.

Sd/- Land Acquisition Officer
Palamau-cum Ranchi.

Sd/- Deputy Commissioner,
Purulia (MAnbhum.)

EXTRAORDINARY
(PUBLISHED BY AUTHORITY)
No. PATNA 104 PATNA, FRIDAY, AUGUST 10, 1956.

REVENUE DEPARTMENT
(LAND ACQUISITION SECTION)

NOTIFICATION.
The 9th August, 1956
No B/L-V11-498-52-9060R Whereas it apoears to the Government of Bihar that land is required to be taken by Government at the public expense for a public purpose, viz for errection of Iron and Steel in the villages of KHERO NO.50, PICHRI NO.497 TANTRI NO 6/171, MANGO 166, KANARI NO167, SHHUTANR NO8/168, KUNDRI NO169, KANCHANPUR NO17/182, MARAPHARI NO 16/191, PIPRATANR NO15/180, GORABALI NO.14/179, KEUTRI NO.8/173, THAKURTANR NO.7/172, KENDUADIH NO.9/174, PALBAHIAR(PART)NO 1 TANRBALIDIH NO.13/178, FENA NO.175, BANDHDI(PART)NO.1/176, KALYANPUR No.81, BAKASPURA NO.80, BARU NO.79, BAHADURPUR NO.78, KAMALPUR(PART NO.76, ANGAWALI (PART)NO.51 AND TANRMOHANPUR NO.177, thana Petarbar, Zila Hazaribagh, it is hereby notified that for the above purpose piece of land measuring, more or less 29623.59 acres bounded on the

North :-By river Damodar,
East :- By boundary of thana Chas, Dist. Manbhum,
South :- By the Ramgarh-Gola-Chas Road,
West :-By the Khanjoo Nala,

is required within the aforesaid villages of KHERO NO.50, PIC NO.49, TANTRI NO.6/171, MANGO NO.1/166, KANARI NO167, SHIBUTANR NO 168 KUNRI NO.169, KANCHANPUR NO.17/182, MARAPHARI NO.16/181, PIPRATA NO.15/180, GORABALI NO.14/179, KEUTRI NO.8/173, THAKURTANRNO.7/172, KENDUADIH NO.9/174, PALBAHIAR(PART)NO.18/183, TANRBALIDIHNO13/178, Fe 175, BANDHDIH(PART) NO.*1/176, KALYANPUR NO.81, BAKASPURA NO80, BARU N BAHADURPUR NO.78, KAMALPUR(PART)NO.76, ANGAWALI (PART)51, TANRMOHANPU NO.177.

This notification ismade, under provisions of section of Act 1 of 1894, as amended by Act XXXVLLL of 1923, to all whom i may concern.

A plan of the land may be inspected in the office of Land Acquisition Officer, Ranchi.

Objection to the acquisition, if any filed under sect 5-A by any person interested within the meaning of that section within 30(thirty)days after the date of publication of this notifi-ion in Officeal gazette before the Land Acquisition Officer, Ranc will be considered.

By order of the Governor
Bihar.
R.S.Mishra.
Deputy Secretary to Gover

Certified to be a true copy.

Addl/Spl. Land Acquisition Officer

(8)

उपायुक्त–सह–जिला दंडाधिकारी का कार्यालय, बोकारो

(राजस्व शाखा)

पत्रांक 1535 /रा0.

संशोधित

प्रेषक,

उपायुक्त, बोकारो।

सेवा में,

सरकार के सचिव,
उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची।

बोकारो, दिनांक – 23.08.2015

विषय – श्री योगेश्वर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–उ0–01 की उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग– विभागीय पत्रांक 1418, दिनांक 20.08.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कंडिका–02 के आलोक में पूरक उत्तरी सामग्री निम्न प्रकार है:–

क0	प्रश्न	उत्तर
02	क्या यह बात सही है कि उक्त अधिसूचना के कारण जरीडीह, कसमार एवं पेटरवार प्रखण्ड के लोगों को दुगुना कोर्ट फीस की राशि देनी पड़ती है।	संपूर्ण राज्य में निबंधन शुल्क एक समान है। स्टाम्प शुल्क के लिए इंडियन स्टाम्प एक्ट 1899 एवं रजिस्ट्रेशन फीस के लिए रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 78 में राज्य सरकार को शक्ति प्राप्त है। पूर्व में एकीकृत बिहार में Notified Area and Municipal Area के लिए अतिरिक्त सैस लिया जाता था। झारखण्ड में यह वर्तमान में लागू नहीं है। वर्तमान में दस्तावेज के मूल्य के आधार पर जो शुल्क लिया जाता है, वह पूरे प्रदेश में एक सामान है। जरीडीह, कसमार एवं पेटरवार के लिए दुगुनी फीस नहीं लिया जाता है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

विश्वासभाजन

23/8/15

उपायुक्त, बोकारो।

(47)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री रामचन्द्र सहिस, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-09

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि बालिका शिक्षा बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय खोलेने हेतु सरकारी स्तर पर निर्णय लिया है;	वर्ष 2015-16 के योजना में राज्य के 57 प्रखण्डों में कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के तर्ज पर झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना हेतु उद्व्यय स्वीकृत है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला का बोड़ाम प्रखण्ड भी शामिल है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकारी निर्णय के अनुसार बोड़ाम प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्वीकृति हुआ है लेकिन विद्यालय भवन नहीं होने के कारण गरीब छात्राओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय, बोड़ाम का संचालन कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, जमशेदपुर में प्रारंभ कर दिया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार बोड़ाम प्रखण्ड में कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवासीय भवन निर्माण करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों;	इस खण्ड का उत्तर उपर के खण्डों के उत्तर में सन्निहित है।

(हस्ताक्षर) 21/08/15

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-13/अ०प्र०-08/15 - 1988 राँची, दिनांक- 24.08.2015

प्रतिलिपिः- अवर उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2185, दिनांक 18.0815 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 21/08/15

सरकार के उप सचिव।

(48)

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा का तृतीय (मानसून) सत्र में दिनांक 25.08.2015 को श्री जय प्रकाश सिंह भोगता, स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–उत्त–02 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न		उत्तर	
1.	क्या यह बात सही है कि जिला–चतरा में तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा पोलिटेकनिक कॉलेज खोलना चाहती है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पोलिटेकनिक कॉलेज निर्माण खोलने हेतु विचार रखती है ; हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ?	2.	चतरा जिला के अंचल चतरा मौजा–कठौतियाँ, थाना नं0–189, प्लॉट नं0–201, 202, 203 वगैरह में पोलिटेकनिक का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है।

झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0 / वि0स0–41 / 15 – 2100 / राँची, दिनांक– 24.8.15

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2198 दिनांक 18.08.2015 के आलोक में 200 प्रतियाँ के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(रविन्द्र कुमार सिंह)
सरकार के अवर सचिव

2727
23.08.2015.

श्री प्रकाश राम, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -शि0-05

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के 1984-85 चरण के प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त एवं कार्यरत शेष 285 शिक्षकों का वेतन भुगतान लंबित है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता के संबंध में उत्पन्न विवाद के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-2626/2001 तथा सिविल अपील संख्या-6676-6681/2001 में दिनांक 03.01.2006 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :- "The Chief Secretary of the State of Bihar is, therefore, requested to constitute a committee comprising two officers and one Educationist of the repute and/or a retired Judicial officer. In the event a Judicial officers is appointed as a member of the committee, he should be chairman thereof. Remuneration of Judicial officer and/or Educationist shall be determined by mutual agreement. The Chief Secretary is hereby requested to place at the disposal of the committee the requisite staff, which may be required by the committee, for amongst the staff of one or the other department of the State." माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1514 दिनांक-20.07.2006 द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सैय्यद मोमीन आलम, (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा झारखंड के क्षेत्रान्तर्गत आनेवाली 1984-85 चरण के परियोजना विद्यालयों एवं इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता की गहन जाँच की गयी। समिति द्वारा दिनांक-30.09.2007 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में झारखंड राज्य में अवस्थित 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त कार्यरत 48 शिक्षक/ 35 लिपिक एवं

		67 आदेशपाल की सेवा मान्यता मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-05.07.2011 को दी गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि परियोजना विद्यालय के अन्य छूटे हुए मामलों की नियमानुसार विधिक जाँच कर इन्हें मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ उपस्थापित किया जाय। मंत्रिपरिषद् के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसे आलम समिति तथा बुध समिति की अनुशंसाओ की समीक्षा करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया। इस समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए मंत्रिपरिषद् के समक्ष विधिसम्मत् प्रस्ताव उपस्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त संबंध में वित्त विभाग द्वारा सहमति प्राप्त एवं उक्त आदेश के अनुपालन में प्रतिवेदन देने हेतु राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी समिति तथा स्थलीय जाँच हेतु संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का संयुक्त हस्ताक्षर का प्रतिवेदन भी समर्पित कर दिया गया है तथा विभागीय सचिव की सहमति भी प्राप्त है,	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 में सन्निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षकों का वेतन भुगतान (संबंधी प्रक्रिया) करने का विचार रखती है, (यदि) हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 में सन्निहित है।

23/08

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-117/2015......2727......./ दिनांक......23......अगस्त, 2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/08

सरकार के उप सचिव।

श्री रामचन्द्र सहिस, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–25.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–03 का प्रश्नोत्तर

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि "दलमा इको सेंसेटिव" जोन क्षेत्र में उत्खनन कार्य, पत्थर, मिट्टी कटिंग, ईंटा भट्ठा, संचालन पर पूरी तरह रोक लगा हुआ है;	स्वीकारात्मक। वास्तविकता यह है कि भारत सरकार द्वारा दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी के इको सेंसिटिव जोन संबंधी निर्गत अधिसूचना के अनुसार स्थानीय निवासियों की वास्तविकता घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय किसी प्रकार के वाणिज्यिक उपयोग हेतु खनन पर रोक है।
2. क्या यह बात सही है कि पटमदा, बोड़ाम प्रखण्ड के मौजा–बामनी, धुसरा, पंईचाडीह, कुंदरूकोचा, चिमटी, कुमारी तथा ठनठनी में खुलेआम क्रेसर मशीन, ईंटा भट्ठा एवं पत्थर उत्खनन कर वन सम्पदा का दोहन हो रहा है;	अस्वीकारात्मक। जहाँ तक इको सेंसिटिव जोन में अवस्थित गैर वनभूमि में चल रहे क्रशर/ईंटा भट्ठा/पत्थर उत्खनन का प्रश्न है, इस संबंध में पूर्व से धारित खनन पट्टो का उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम द्वारा शेष अवधि के लिए परिसमाप्त कर दिया गया है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार द्वारा उत्खनन कार्य में संलिप्त लोगों तथा विभागीय पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहती है;, हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
<u>वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग</u>

ज्ञापांक– 5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–54/2015–4587 व०प०, राँची, दिनांक–24.08.2015

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–2183 दिनांक–18.08.2015 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखंड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखंड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15
(सुनील कुमार)
सरकार के उप सचिव

(51)

श्री शशिभूषण सामाड़, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत बन्दगाँव प्रखण्ड के नाकटी जलाशय क्षेत्र में पर्यटन की असीम सम्भावना है;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार के पास कोई योजना है;	2.	वर्तमान में प्रश्नाधीन स्थल पर कोई योजना स्वीकृत नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नाकटी जलाशय क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का विचार रखती है यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	कंडिका 2 में उत्तरित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/55/2015 1472 /राँची, दिनांक 24/08/15 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2208/वि०स०, दिनांक–18/08/2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

52

2726
23-08-2015.

डॉ अनिल मुर्मू, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न ' क्या -शि०-13

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के उच्च विद्यालयों के लिये वर्ष-2009 में शुरु हुई 2512 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष-2015 में 1680 शिक्षकों की नियुक्ति से हुई ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को पाँच फीसदी छूट का भी प्रावधान है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। झारखण्ड राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय (सेवा शर्त) नियमावली, 2004 (अद्यतन संशोधित) के आलोक में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र-द्वितीय में न्यूनतम् अंक 40 प्रतिशत लाने का प्रावधान रखा गया है तथा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को 5 प्रतिशत अंक की छूट दी गयी है। अर्थात्, उक्त से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पद रिक्त होने के बावजूद भी सफल नहीं माने जायेंगे।
3.	क्या यह बात सही है कि अर्थशास्त्र विषय के लिए 250 पदों के विरुद्ध 225 पदों पर ही शिक्षकों की नियुक्ति की गई है ;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि 250 पदों के विरुद्ध 245 अनुशंसायें झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से प्राप्त करायी गयी थी, जिसके विरुद्ध अहर्त्ता पूरी करने वाले 229 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है।
4.	क्या यह बात सही है कि श्री करमा हेम्ब्रम अर्थशास्त्र विषय में 50 से ज्यादे प्राप्त करने के बाद भी उनकी नियुक्ति शिक्षक के रूप में नहीं की गई है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री करमा हेम्ब्रम अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं। अनुसूचित जनजाति में जिस अभ्यर्थी को न्यूनतम 191 अंक प्राप्त हैं, उन्हीं का चयन अर्थशास्त्र विषय में किया गया है। अभ्यर्थी को मात्र 153 अंक प्राप्त हुआ है। इस कारण से झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गयी अर्थशास्त्र विषय की अनुशंसा सूची में श्री करमा हेम्ब्रम का नाम नहीं है।

5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सारी पात्रता पूरी करने वाले श्री करमा हेम्ब्रम की नियुक्ति एक शिक्षक के रूप में करने का विचार रखती है, (यदि) हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-4 में सन्निहित है।

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-119/2015......2726......, दिनांक......23......अगस्त, 2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(54)

श्री ताला मराण्डी, मा० स०वि०स० द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 25.08.2015 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० टन –05 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री ताला मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संताल परगना प्रमण्डल के लगभग प्रत्येक गाँव में पैका अखाड़ा के माध्यम से युवाओं को मनोरंजन, शारीरिक विकास एवं आत्मरक्षा के लिए युवाओं को तैयार किया जाता था;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि युवाओं को खेल–कूद एवं युवा कार्य कला संस्कृति पैका अखाड़ा प्रोत्साहित नहीं करने के कारण संताल परगना के आदिवासी गाँव में पैका अखाड़ा लगभग मृत्य प्राय हो गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पैका अखाड़ा को पुर्नजीवित करना चाहेगी। हाँ तो कब तक, नही तो क्यो ?	पैका अखाड़ा ग्रामीण पृष्ठभूमि पर आज भी स्थानीय लोगों द्वारा आयोजित किया जाता रहा है। इसकी पृष्ठभूमि एवं उपयोगिता का अध्ययन कर सरकार इसके उत्थान/संचालन हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/विधायी–08–35/15/क 647 / राँची, दिनांक 24/8/15

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2247 दिनांक 19.08.2015 के प्रसंग में 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/8/15
सरकार के उप सचिव
पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड राँची।

श्रीमती मेनका सरदार, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या -शि०-04

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के पारित आदेशानुसार आर० एन० त्रिपाठी की अध्यक्षता में बनी समिति ने ज्ञापांक 11/प. 5-05/2011-2743, दिनांक 06.10.2012 के आलोक में राज्य में प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय, डुमुरिया पूर्वी सिंहभूम में कार्यरत 416/प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित शिक्षकों के संग लिपिक/चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की सेवा को मान्यता देने हेतु अनुशंसा की है,	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालय के संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता के संबंध में उत्पन्न विवाद के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर सिविल अपील संख्या-2626/2001 तथा सिविल अपील संख्या-6676-6681/2001 में दिनांक 03.01.2006 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :- *"The Chief Secretary of the State of Bihar is, therefore, requested to constitute a committee comprising two officers and one Educationist of the repute and/or a retired Judicial officer. In the event a Judicial officers is appointed as a member of the committee, he should be chairman thereof. Remuneration of Judicial officer and/or Educationist shall be determined by mutual agreement.* *The Chief Secretary is hereby requested to place at the disposal of the committee the requisite staff, which may be required by the committee, for amongst the staff of one or the other department of the State."* माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के आलोक में झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1514 दिनांक-20.07.2006 द्वारा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सैयूयद मोमीन आलम, (सेवा निवृत्त) की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा झारखंड के क्षेत्रान्तर्गत आनेवाली 1984-85 चरण के परियोजना विद्यालयों एवं इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा मान्यता की गहन जाँच की गयी। समिति द्वारा दिनांक-30.09.2007 को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में झारखंड राज्य में अवस्थित 1984-85 चरण के परियोजना बालिका उच्च विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त कार्यरत 48 शिक्षक/ 35 लिपिक एवं

		67 आदेशपाल की सेवा मान्यता मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-05.07.11 को दी गयी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि परियोजना विद्यालय के अन्य छूटे हुए मामलों की नियमानुसार विधिक जाँच कर इन्हें मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ उपस्थापित किया जाय। मंत्रिपरिषद् के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राजेन्द्र नाथ त्रिपाठी, तत्कालीन प्रभारी निदेशक, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसे आलम समिति तथा बुध समिति की अनुशंसाओं की समीक्षा करते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया। इस समिति द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा कर विधि विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए मंत्रिपरिषद् के समक्ष विधिसम्मत् प्रस्ताव उपस्थापित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 17.06.2015 को सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में वर्ष-2006 से पूर्व नियुक्त शिक्षा कर्मियों को नियमित करने का निर्णय लिया है,	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 में सन्निहित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित सभी शिक्षा कर्मियों की सेवा शीघ्रातिशीघ्र नियमित करने का विचार रखती है, हाँ तो, कब तक नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-1 में सन्निहित है।

ह०/- 22/8

सरकार के उप सचिव।

झारखंड-सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-115/2015....2728..../ दिनांक....23....अगस्त, 2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 23/8

सरकार के उप सचिव।

56

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री बादल, स.वि.स. द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या शि0-10

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ० नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य में अनुबंध पर पारा शिक्षकों की बहाली की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में अनुबंध पर नियुक्त किये गए पारा शिक्षकों की नियमित बहाली तथा मानदेय बढ़ाया गया है,	वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य में झारखण्ड की तरह पारा शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होती है। संविधान की धारा 243 तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अधीन गठित बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 तथा बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2006 के द्वारा सभी राजकीय/राजकीयकृत विद्यालय में स्वीकृत पदों के विरुद्ध पंचायत/नगर प्रारंभिक शिक्षक का नियोजन बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य में अनुबंध पर नियुक्त पारा शिक्षकों को बिहार के तर्ज पर नियमितीकरण करते हुए मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	केन्द्र प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्ययोजना एवं बजट की स्वीकृति वार्षिक आधार पर की जाती है। मानदेय में वृद्धि हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 में यह प्रावधान किया गया है कि कुल रिक्त पद के 50 प्रतिशत पद पर पारा शिक्षकों में से नियुक्ति की जायेगी। इस प्रकार पारा शिक्षकों को सरकारी सेवा में नियुक्त होने का उपयुक्त अवसर प्रदान किया गया है।

24/08

सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-13/अ. 4-15/15..1996../ रॉंची, दिनांक-..24.08..2015

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 2251, दिनांक 19.08.2015 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(57)

श्री साधुचरण महतो, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.08.2015 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–03 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला के कुकडु प्रखण्ड के अन्तर्गत स्थित जारगों देवस्थल (शिव मंदिर) में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते है एवं यहाँ का दृश्य विहंगम है;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित स्थान में साल में एक बार वृहत पैमाने पर नवकुंज धार्मिक महोत्सव का आयोजन होता है जिसमें दूर–दराज के लाखों श्रद्धालु शामिल होते है;	2.	स्वीकारात्मक। i. वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन स्थल में साल में एक बार नौ दिनों तक चलने वाले नवकुंज महोत्सव का आयोजन होता है जिसमें स्थानीय लोगों के अलावे समीपवर्ती राज्य पश्चिम बंगाल से भी लोग आतें है। इस अवसर पर नौ दिनों तक अनवरत कीर्तन होता है, जिसमें प्रतिदिन (उक्त नौ दिनों तक) लगभग 10–12 हजार श्रद्धालु आते हैं और रात भर रहते हैं। ii. अन्य दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या नगण्य रहती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार सरायकेला–खरसावाँ जिला के कुकडु प्रखण्ड में स्थित जारगो देवस्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की विचार रखती है, (यदि) हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	प्रश्नाधीन स्थल के पर्यटकीय विकास संबंधी कोई योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
(पर्यटन प्रभाग)

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/54/2015 1469 /राँची, दिनांक 24/08/15 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2207/वि०स०, दिनांक–18/08/2015 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/8/15

सरकार के अवर सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,